डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांकः2807/फा0सं0–240 /स्थापना/DSMNRU/2020–21 दिनांकः 25 मार्च, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–584/2021–सीएक्स–3 दिनांक 23.03.2021 द्वारा निर्गत एडवाजरी के क्रम में होली सहित अन्य पर्वों व त्योहारों, पंचायत चुनाव तथा देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरते जाने के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित एडवाजरी निर्गत की जा रही हैः–

1. आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि के लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे।
2. अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे।
3. सार्वजनिक कार्यक्रमों/जुलूसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाये।
4. वह प्रदेश जहाँ कोविड का संक्रमण अत्यधिक है, वहाँ से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जाँच अनिवार्य रूप से करायी जाये।
5. विश्वविद्यालय में समस्त शैक्षिणिक गतिविधियाँ के संचालन के सम्बन्ध में दिनांकः 26 से 31 मार्च, 2021 तक कोविड–19 के दृष्टिगत अवकाश रहेगा। छात्रावास हेतु पत्रांक –2531/प0स0–084/ दिनाकः 08 मार्च, 2021 एवं पत्रांक 195, दिनांक 12.03.2021 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप/सूचना यथावत प्रभावी रहेगी। शेष प्रशासनिक कार्यालय के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप पत्रांकः 1997 /फ0स0–36/वि0वि0/डी.एस.एम.एन.आर.यू./अवकाश/2021–21, दिनांकः 19.01.2021 के अनुसार अवकाश रहेंगे।
6. विश्वविद्यालय में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हो।
7. विश्वविद्यालय में चिकित्सा अधीक्षक अपने पर्यवेक्षण में सुनिश्चत करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी–अपनी जाँच करवायें तथा जाँच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे।
8. कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाये तथा जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आयें उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतम 25–30) घण्टे के अन्दर चिन्हित करते हुए उनकी जाँच करायी जाये।
9. कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय रखा जाये। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षणयुक्त लोगों की पहचान की जाये।
10. कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये तथा आम जनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।
11. वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से किया जाये तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाये।
12. जब भी कोई विश्वविद्यालय से बाहर जाये तो सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो।
13. विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द, गैर–शिक्षकवृन्द व विद्यार्थियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाय तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक है।
14. अनिवार्य सेवाओं यथा–विद्युत, जल, सुरक्षा, साफ–सफाई कार्य यथावत् पूर्व की भांति संपादित किये जायेंगे।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकवृन्द।
5. चीफ प्रावोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट,छात्रावास, विश्वविद्यालय।
6. समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण।
7. चिकित्सा अधीक्षक, विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

25/3/21

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव